HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal No. 131/2011

Aslam Chisti And Ors

----Appellant

Versus

State Of Raj Asthan Through Pp

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Ravi Kasliwal, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP
Mr. Rohit Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

<u>Judgment / Order</u>

<u>06/05/2026</u>

आवेदन आई.ए. 1/26 पर सुना गया।

विद्वान अधिक्ता याची–अभियुक्त–अपीलार्थी जावेद का निवेदन है कि यद्यपि तीन वर्ष हेतु पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए न्यायालय को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया है, किंतु वर्तमान में वे मात्र दो वर्ष की अवधि के लिए ही अपने निवेदन को सीमित रखते हैं साथ ही यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त जावेद को अपने परिवार सहित आस्था के साथ मक्का–मदीना, दुबई और बांग्लादेश की यात्रा की जानी है किंतु वर्तमान आपराधिक अपील लंबित होने से संबंधित पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा है।

विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

पूर्व में भी पासपोर्ट जारी किये जाने के संबंध में न्यायालय को आपत्ति नहीं होने का आदेश इस मामले में दिया गया था तथा अभियुक्त द्वारा निर्देशित यात्रा करने के उपरांत पुनः उपस्थिति दी गई थी, अतः संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त द्वारा मक्का–मदीना, दुबई तथा बांग्लादेश की यात्रा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के

RAJASTHAN HIGH COURT

समक्ष 01.07.2026 से 30.06.2028 तक की अवधि के लिए पासपोर्ट हेतु आवेदन किया जाता है तथा अभियुक्त द्वारा अन्य सभी प्रकार की पात्रता रखी जाती है, तो उक्त अवधि के लिए अभियुक्त–जावेद का पासपोर्ट जारी किये जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अनापत्ति दी जाती है।

अभियुक्त–जावेद को निर्देशित किया जाता है कि 30.06.2028 के तुरंत पश्चात् 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करावे।

इसी अनुसार आवेदन आई.ए. 1/26 स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /95